उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या–3047–कार्य / चौदह / पाकालि / 2017–23–के / 2008 दिनांक 04 जुलाई, 2017

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक मण्डल उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की दिनांक 19.06.2017 को सम्पन्न 129वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप संख्या–686–कार्य / चौदह / पाकालि / 2017–23–के / 2008 दिनांक 07 जून 2017 को एतद्द्वारा निम्नवत् संशोधित किया जाता है :–

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसके सहयोगी वितरण निगमों तथा केस्को में खुली निविदा के माध्यम से सम्पादित होने वाले समस्त क्रय एवं कार्य हेतु पूर्व में निर्गत समस्त आदेशों को अवक्रमित करते हुए ''ई–टेन्डरिंग'' पद्धति लागू की जाती है।

2. अपरिहार्य परिस्थितियों में / कार्य हित में आकस्मिक प्रकृति के कार्यों / प्राकृतिक आपदा के कारण विद्युत आपूर्ति में आये व्यवधान के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति सुचारू एवं निरन्तरता बनाये रखने हेतु रू0 10,00,000.00 मात्र (रूपये दस लाख मात्र) तक के कार्यों को ''ई–टेन्डरिंग'' व्यवस्था से निम्न विवरणानुसार मुक्त किया जाता है :–

(अ) (i) 33 / 11 के0वी0 एवं 11 / 0.4 के0वी0 उपकेन्द्रों से सम्बन्धित लाइनों एवं उपकरणों के ब्रेकडाउन / आकस्मिक प्रकृति के विद्युत एवं जानपदीय कार्य।

(ii) प्राकृतिक आपदा से प्रभावित उपकेन्द्रों एवं लाईनों की मरम्मत से सम्बन्धित कार्य।

(iii) मुख्यालय पर स्थापित इलेक्ट्रिकल इन्सटालेशन के ब्रेकडाउन / आकस्मिक प्रकृति के विद्युत / जानपदीय कार्य।

(iv) केवल वितरण प्रणाली के आकस्मिक कार्य।

(ब) (i) 33 / 11 के0वी0 एवं 11 / 0.4 के0वी0 क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को बदलने से सम्बन्धित कार्य तथा 11 / 0.4 के0वी0 परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि का कार्य।

(ii) 33 / 11 के0वी0 उपकेन्द्रों एवं आवासीय कालोनियों / मुख्यालय पर जलापूर्ति व्यवस्था हेतु स्थापित ट्यूबवेल के क्षतिग्रस्त पम्प / मोटर को बदलने स्थापना से सम्बन्धित कार्य।

बिन्दु सं0–(ब) में वर्णित कार्य इस कार्यालय ज्ञाप के निर्गत करने की तिथि से तीन माह हेतु ही मुक्त रखे जायेंगे। इसी मध्य में बिन्दु सं0–(ब) के कार्यों हेतु ''ई–टेन्डरिंग'' के माध्यम से Rate Contract कराना सुनिश्चित करें।

बिन्दु संख्या '2' पर वर्णित उपरोक्त व्यवस्था पर एक वर्ष बाद समीक्षा की जाएगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या :3047–(1)–कार्य / चौदह–पाकालि / 2017 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा) के निजी सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल / मध्यांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / लखनऊ / मेरठ / आगरा एवं केस्को, कानपुर को इस अनुरोध के साथ कि ''ई–टेन्डरिंग'' की पद्धति हेतु उक्त आदेश को अपने निदेशक मण्डल से पारित कराना सुनिश्चित करें।

क्रमशः .....2 / ....

5. समस्त निदेशकगण (का0प्र0 एवं प्रशा0 / वित्त / वितरण / वाणिज्य / कार्पोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अपर सचिव–I,II,III, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता, स्तर–1 / स्तर–2, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0।
9. मुख्य अभियन्ता (जानपद) पारेषण–II, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, 9वां तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता (सम्बद्ध), मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटराइजेशन) कक्ष संख्या–407, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट–www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
13. कट फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव (कार्य)